भारतीय रिज़र्व बैंक
सम्पदा विभाग
नई दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण के लिए ई-निविदा - बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त-

(ई-निविदा संख्या - 2026_आरबीआई_286940_1)

उपर्युक्त निविदा हेतु बोली-पूर्व बैठक 07 सितंबर, 2026 को 12:00 बजे मुख्य कार्यालय भवन के प्रथम तल पर स्थित संपदा विभाग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संपदा विभाग के महाप्रबंधक (तक.) श्री योगी राज शर्मा ने की।

बैठक में आरबीआई के निम्नलिखित अधिकारी और संभावित बोलीदाताओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे:

बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागी

आरबीआई		
क्रम सं.	**प्रतिनिधि का नाम**	**पदनाम**
1.	श्री योगी राज शर्मा	मप्र (तक.)
2.	श्री कृष्ण कुमार सिंह	समप्र (तक.)
3.	श्री अभिषेक वर्मा	प्रबंधक (तक.)
4.	श्री महेन्द्र कुमार बगड़िया	सप्र (तक.)
5.	श्री अमित कुमार	सप्र
	बोलीदाता/फर्म	
	फर्म का नाम	**प्रतिनिधि का नाम**
1.	मैसर्स जय कुमार	श्री जय कुमार

आरंभ में अध्यक्ष महोदय ने भाग लेने वाले बोलीदाता का स्वागत किया तथा उनसे निविदा दस्तावेज के संबंध में अपने प्रश्न पूछने का अनुरोध किया।

प्रत्येक प्रश्न के संबंध में बोलीदाता को दिए गए उत्तर/स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	**प्रश्न**	**बैंक का स्पष्टीकरण/टिप्पणियाँ**
1.	माइल्ड स्टील (MS) कंपाउंड वॉल ग्रिल का डिज़ाइन शेयर किया जा सकता है।	MS कंपाउंड वॉल ग्रिल का डिज़ाइन, साथ ही दीवार का डिज़ाइन और सेक्शनल एलिवेशन, इसके साथ संलग्न हैं।
2.	पुराने सामान को ले जाने पर दी जाने वाली छूट के बारे में स्पष्टता दी जा सकती है।	यह साफ़ किया गया कि ठेकेदार को पुरानी चीज़ें (जैसे ईंटें, ग्रिल, बार वगैरह) हटा लेनी होंगी, सिवाय MS कोरूगेटेड शीट और बाउंड्री वॉल पर लगी कॉन्सर्टिना/कांटेदार तार के - इन्हें बैंक के निर्देश के अनुसार तय जगह पर रखना होगा (मूल्य बोली की मद संख्या 16 को देखें)।
3.	क्या बैंक स्थानीय/वैधानिक प्राधिकरणों (जैसे NDMC/MCD, BSES आदि) के साथ संपर्क/समन्वय के संबंध में सहायता प्रदान करेगा?	हालांकि, आवश्यक होने पर, बैंक ठेकेदार को पत्र जारी करने या भौतिक बैठक में ज़रूरी मदद देगा, लेकिन संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखने और फ़ॉलो-अप करने की पूरी ज़िम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।

4.	क्या यह काम रात में किया जा सकता है?	नहीं। मौजूदा नियमों के अनुसार, रिहायशी इलाकों में रात के समय (रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) शोर करने वाले निर्माण उपकरणों के इस्तेमाल या संचालन पर सख़्त पाबंदी है।
5.	क्या कर्मचारियों को साइट पर रात भर रुकने की अनुमति है?	नहीं। बैंक परिसर में कर्मचारियों का रात भर रुकना पूरी तरह से मना है।
6.	इस बात पर ज़ोर दिया जाता है कि तोड़-फोड़ का काम शुरू करने से पहले, ठेकेदार को बाउंड्री लाइन के साथ अस्थायी बैरिकेडिंग का इंतज़ाम करना होगा, ताकि बिना इजाज़त घुसने या अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके, सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।	

अध्यक्ष और संभावित बोलीदाताओं के सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

नोट: उपरोक्त संशोधन/स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी के लिए जारी किए जा रहे हैं। बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा है। निविदा दस्तावेज के अन्य सभी भाग अपरिवर्तित रहेंगे। निविदाओं का प्रस्तुतीकरण बोली दस्तावेज और संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा। सभी बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे बोली-पूर्व बैठक के विवरण को प्रिंट करें, उस पर अपने हस्ताक्षर/मुहर लगाएं, तथा सीपीपी पोर्टल पर निविदा का भाग-I प्रस्तुत किए जाने का साथ ही, अन्य आवश्यक कागजातों के साथ इस दस्तावेज को भी अपलोड करें।